न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– प्रिया बजाज आर.ए.एस.

प्रकरण सख्या :–72/2025 (2025/351 जीसीएमएस)

1. मायादेवी पुत्री बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन 6 केएनडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगगानगर राजस्थान।
2. विमला पुत्री बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन 6 केएनडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. रोशनीदेवी पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन 6 केडएनी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. कृष्णादेवी पुत्री बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन 6 केएनडी–बी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावला तहसील रावला जिला श्री गंगानगर, राजस्थान।

....अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री जनकराम, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सीताराम टाक वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।
3. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.12.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके कामयाब होने की पूरी–पूरी सम्भावना है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 के दादा व अप्रार्थी सं0 1 के ससुर चन्दुराम पुत्र उमाराम के नाम तहसील रावला के चक 6 केएनडी–बी के प0 नं0 53/44 के मु0 नं0 26 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18 व 25 में कुल 3.067 है0 कमाण्ड रकबा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बतौर

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

हिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के ससुर व पति व अप्रार्थी सं0 2 के दादा एवं पिता बनवारीलाल वा चन्दुराम का देहान्त हो चुका है जो कि उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थी सं0 1 के पति वा अप्रार्थी सं0 2 के पिता बनवारीलाल का देहान्त होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम से हिस्सा 1/4 राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो चुका है। प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी सं0 1 व 2 को उक्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा कर राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाने का कहा परन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2 हर बार कोई न कोई बहानाबाजी कर टाल–मटौल करती रही। चूंकि अप्रार्थी सं0 2 ने अप्रार्थी सं0 1 को उसकी वृद्धावस्था का बेवजह फायदा उठाकर उसे बहकावे में ले रखा है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम की उक्त समस्त कृषि भूमि जो उन्हें विरास्तन प्राप्त हुई है को संयुक्त खाता की आड़ में अन्यत्र बेचान करने की फिराक में है जबकि उक्त कृषि भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है व उक्त कृषि भूमि संयुक्त खाता में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जबकि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 उक्त रकबा को बेचान करने की फिराक है। उक्त वादगब्रस्त कृषि भूमि मुस्तरका खाता में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 के मध्य अक्सर मालकाना जमा करवाने को लेकर तथा बट डोली वा सिंचाई सुविधा को लेकर विवाद पैदा हो जाता है जिस पर प्रार्थीगण ने कई बार अप्रार्थी सं0 1 व 2 से निवदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मुस्तरका खाता में होने से इसके स्थाई समाधान हेतु वादग्रस्त कृषि भूमि का रास्ता, खाला आदि सुविधाओं को मध्यनजर अच्छी से अच्छी वा मंदी से मंदी कृषि भूमि का हिस्सानुसार बंटवारा कर अपने–अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में किला नम्बर दर्ज करवा लिये जायें लेकिन अप्रार्थी सं0 1 व 2 हर बार बहानेबाजी कर टाल मटौल करते रहे। आखिरकार आज से 5 रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं0 1 व 2 से सम्पर्क कर वादग्रस्त कृषि भूमि को अरसा पूर्व हुए घरू बंटवारा के तहत किस्म के अनुसार बंटवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बंटवारा कराने में सहयोग करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा वादग्रस्त कृषि भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को शीघ्र ही रहन, बैय कर हस्तांरित कर देंगे, इसी दिन से प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खिलाफ वाद कारण प्राप्त है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 वादग्रस्त कृषि भूमि में से अच्छी किस्म की भूमि को विशिष्ट किलाजात दर्शाकर अन्यत्र रहन, बैय कर हस्तांरित करने के प्रयासरत है जिसके सम्बंध में अप्रार्थीगण ने आज से 5 रोज पूर्व प्रार्थीगण को स्पष्ट रूप से ऐलानिया धमकी दी है कि अच्छी कृषि भूमि को बेचान कर देंगें इस कृषि भूमि में आप लोगों को कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा, जबकि अप्रार्थी सं0 1 व 2 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा बंटवारा से पूर्व प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाता की भूमि के प्रत्येक हिस्से पर बराबर हक होता है। अगर

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

अप्रार्थी सं0 1 व 2 अपने नापाक ईरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 व 2 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पूर्णतया प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादी के हिस्से में आयी कृषि भमि तथा जब तक बंटवारा नहीं हो जाता अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि चक 6 केएनडी–बी के प0 नं0 53/44 के मु0 नं0 26 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 25 की कुल 3.067 है0 भूमि का बेचान हस्तांरित रहन करने से पाबन्द रहें तथा प्रार्थीगण के हिस्सा की कृषि भूमि के सम्बंध में उपलब्ध सिंचाई व्यवस्था व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व व्यवधान पैदा करने से बाज वा ममनु रहें।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को स्थगन पर एकतरफा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया कि वह आगामी तारीख पेशी तक तहसील रावला के चक 6 केएनडी–बी के प0नं0 53/44 मु0नं0 26 के किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 25 की कुल 3.067 है0 कृषिभूमि के मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद सं0 1 में दर्ज तथ्य वादपत्र पेश किया जाना स्वीकार है शेष मद अस्वीकार है क्योंकि दावा के कामयाब होने की लेशमात्र भी संभावना नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में दर्ज तथ्य रिकॉर्ड पर आधारित है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 3 में दर्ज तथ्य रिकॉर्ड पर आधारित होने के कारण स्वीकार हैं। प्रार्थना की मद सं0 4 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है। अप्रार्थीगण ने कभी भी खाता विभाजन बाबत् टाल मटोल नहीं किया जबकि प्रार्थीगण ही हर बार टाल मटोल करते रहे हैं। मन अप्रार्थीगण आज भी खाता विभाजन हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 5 गलत बयानी होने के कारण अस्वीकार है क्योंकि समस्त भूमि की किस्म समान है लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि का काफी समय पूर्व ही आपस में घरू बंटवारा कर रखा है। मुताबिक घरू बंटवारा अप्रार्थी सं0 1 रोशनीदेवी के हिस्सा मं चक 6 केएनडी–बी के प0 नं0 53/44 मु0 नं0 26 के किला नं0 25 की 0.145 है0, 16 की 0.239 है0, 17 की 0.203 है0 व 18 की 0.180 है0 इस प्रकार कुल 0.767 है0 भूमि हिस्सा में आई है

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

एवं अप्रार्थी सं0 1 किला नं0 17 में अपनी ढाणी बनाकर निवास कर रही है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 2 के हिस्सा में किला नं0 18 की 0.023 है0, 13 की 0.253 है0, 14 की 0.253 है0, 15 की 0.238 है0 कुल 0.767 है0 भूमि हिस्सा में आई है शेष भूमि प्रार्थीगण के हिस्सा में आई है। हम अप्रार्थीगण इसी घरू बंटवारा अनुसार विधिवत बंटवारा करवाने हेतु सहमत हैं। हम अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कई बार उपरोक्तानुसार विधिवत बंटवारा करवाने हेतु निवेदन भी किया लजेकिन प्रार्थीगण ही हर बार टाल मटोल कर समय व्यतीत करते रहे हैं। प्रार्थीगण को हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण हासिल नहीं है। प्रार्थीगण ने जानबूझकर पूर्व में किये गये उपरोक्त घरू मौखिक बंटवारा अनुसार अपने कब्जा में कोई भूमि दर्ज नहीं की है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 6 पूर्णतया अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थीगण वा प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में ही घरू मौखिक बंटवारा किया जा चुका है एवं उसी मुताबिक अप्रार्थीगण भ विधिवत बंटवारा की डिक्री पारित करवाने हेतु सहमत हैं। चूंकि हम अप्रार्थीगण कतई विवादित भूमि को बेचान वा खुर्द—बुर्द नहीं करना चाहते क्योंकि उक्त भूमि ही अप्रार्थीगण की आजीविका का एकमात्र साधन है इसलिए अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को विवादित भूमि बेचान करने की धमकी देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी सं0 1 वृद्ध औरतजात है जिसके कोई पुत्र यानि पुरूष सन्तान नहीं है, केवलमात्र तीन पुत्रियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 2 ही है। प्रार्थीगण येन—केन तरीके से विवादित भूमि को अकेले हड़पना चाहती हैं। यहां तक कि अप्रार्थी सं0 1 के निवास स्थान से भी प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 को बेदखल करना चाहती है। प्रार्थीगण कतई हम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं0 7 अस्वीकार हैं क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन कतई प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे—खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में जवाब स्टेट की आवश्यकता नहीं होने के कारण जवाब स्टेट बन्द किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या पक्ष, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं के बारे में पत्रावाली का अवलोकन एवं वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन व विवेचन करने पर बिन्दुवार निम्न प्रकार से पाते हैं।

1. **प्रथम दृष्ट्या प्रकरण** — पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम विवादित भूमि प्रत्येक 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो उन्हें विरास्तन प्राप्त हुई हैं। अप्रार्थीया संख्या 1 जो कि 70 वर्षीय वृद्ध औरत है जिसके कोई पुरुष सन्तान नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 वादग्रस्त कृषि भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

किला नं0 17 में बनी ढाणी में निवास कर रही है। वादग्रस्त भूमि में जितना हिस्सा प्रार्थीगण का है उतना ही हिस्सा अप्रार्थीगण का भी है। अप्रार्थी सं0 1 के जीवनयापन का जरिया एकमात्र यही कृषि भूमि है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इस बिन्दु के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष का होना नहीं पाया जाता है।

2. **सुविधा का संतुलन**– प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर हिस्सा एवं घरू बंटवारानुसार मौके पर भी अप्रार्थीगण ही काबिज है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं होने पर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष का नहीं होकर, अप्रार्थीगण के पक्ष का पाया जाता है।

3. **अपूर्णीय क्षति**– इस बिन्दु पर पत्रावली का अवलोकन व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर पाया जाता है कि अपूर्णीय क्षति के इस बिन्दु को प्रार्थीगण अपने पक्ष का होने व प्रमाणीकरण करने में असफल रहे। क्योंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रथम दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने तथा अप्रार्थीगण कब्जा काश्त रिकॉर्डड खातेदार होने के कारण इस बिन्दु को प्रार्थीगण के पक्ष का मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस बिन्दु को प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं माना जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में ही माना जाता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टतया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णीत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है तथा प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

प्रिया बजाज
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना